1

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपकम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या–2667–औस/2016–11(28)ए0एस0/2004 दिनांक 30 जून, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों व उनके आश्रित परिजनों एवं पारिवारिक पेंशनरों को अधोलिखित बीमारियों की कैशलेस व्यवस्था के अन्तर्गत केडिट पर चिकित्सा/उपचार कराने हेतु कारपोरेशन के पत्र संख्या–463–औसं/2016 दिनांक 05.02.2016 द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त **मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, वैशाली (ए यूनिट ऑफ कॉसले रेमिडीज लि0) डब्लू–3, सेक्टर–1, वैशाली, गाजियाबाद, फोन नं0–911204188000, 4173000** को तीन गम्भीर रोगों हेतु कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–5830–औ0सं0/2008 दिनांक 31.12.2008 में निहित शर्तों/प्रतिबन्धों एवं स्वीकृति सी0जी0एच0एस0 मानक दरों में अस्पताल द्वारा 4 प्रतिशत की छूट देने की सहमति सहित मान्यता प्रदान की जाती है :–

1- CANCER

(ONCOLOGY, SURGERY, CHEMOTHERAPY, RADIOTHERAPY)

2- CARDIOLOGY

(हृदय रोग की शल्य किया/स्टैन्ट/ओपन हार्ट सर्जरी, CABG, MVR, PACE MAKER IMPLANT)

3- ORTHOPADIC

(JOINT REPLACEMENT SURGERY)

उक्त कैशलेस उपचार हेतु कारपोरेशन के आदेश संख्या–2800–औसं/2012–11(30)ए0एस0/2004 दिनांक 21.09.2012 में उल्लिखित निम्न प्रकिया अपनाई जाएगी :–

1– केडिट सुविधा के अन्तर्गत हृदय रोग से सम्बन्धित उपचार हेतु कार्मिक/उस पर आश्रित रोगी कारपोरेशन द्वारा विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में उपचार हेतु निर्धारित प्रारूप में संलग्न प्राधिकार पत्र (AUTHORISATION SLIP) नियन्त्रक/सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराकर चिकित्सालय में प्रस्तुत करेंगे।

2– प्राधिकार पत्र (AUTHORISATION SLIP) के साथ आवश्यक सत्यापित प्रमाण पत्र जैसे-सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति अथवा पेंशन भुगतान आदेश (PPO) की छायाप्रति आदि एवं पहचान पत्र तथा आश्रित के सम्बन्ध में आश्रित प्रमाण पत्र एवं पुत्र/पुत्री का आयु का प्रमाण पत्र भी संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3– कार्मिक के आश्रित माता पिता का उपचार व चिकित्सा कराने के मामलों में पहचान पत्र तथा कारपोरेशन के आदेश संख्या–6163–औस–17/पाकालि/03, दिनांक 05.01.2004 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कारपोरेशन के कार्मिक द्वारा आश्रित के सम्बन्ध में पूर्ण सूचनाओं सहित घोषणा शपथ–पत्र पर देना अनिवार्य होगा।

4– प्राधिकार पत्र (AUTHORISATION SLIP) निर्गत करने वाले नियन्त्रक/सक्षम अधिकारी द्वारा कार्मिक/पेंशनर के पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्यों का पूर्ण विवरण प्राधिकार पत्र के साथ प्रमाणित कर प्रेषित करना होगा।

5– इलाज पूर्ण हो जाने पर चिकित्सालय प्रबन्धक द्वारा अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर कार्मिक के फोटो हस्ताक्षरों सहित अधिकृत चिकित्सक से सत्यापन उपरान्त बीजक के साथ कारपोरेशन (मु0) को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– अस्पताल प्रबन्धक यह भी सुनिश्चित करेगा कि इलाज के बीजक में अदेय सामग्री जैसे-विटामिन, टानिक आदि बीजक में सम्मिलित नहीं किये जायेगें, आवश्यकता पड़ने पर ऐसी सामग्री मरीज से स्वयं के व्यय पर खरीदकर मंगाई जा सकती है।

7– उपचार के उपरान्त अस्पताल से अवमुक्त होने पर रोगी को आवश्यक होने पर अधिकतम 15 दिन की दवायें चिकित्सालय द्वारा अनुमन्य करायी जायेगी, जिनके मूल्य का समावेश अन्तिम बीजक में पृथक रूप से दर्शाना अनिवार्य होगा।

8– चिकित्सा व्यय क्रेडिट भुगतान एवं प्रतिपूर्ति के दावे मात्र उन्ही कार्मिकों व पेंशनर्स के सम्बन्ध में पावर कारपोरेशन में भुगतान हेतु स्वीकार किये जायेगें, जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं इसकी सहयोगी कम्पनियों यथा पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवं केस्को, कानपुर के अन्तर्गत वेतन अथवा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

9– उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अथवा अन्य निगम की सेवा से सेवानिवृत्त ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा वर्तमान में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड अथवा इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों से पेंशन भुगतान प्राप्त किया जा रहा है उनके मामलों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति/क्रेडिट बीजक का दावा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा भुगतान हेतु स्वीकार/अनुमन्य कराया जायेगा।

10– ऐसे कार्मिक जो वर्तमान में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अथवा उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के स्तर से वेतन अथवा पेंशन का आहरण कर रहे है, उनके क्रेडिट चिकित्सा व्यय/प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

अध्यक्ष

संख्याः–2667–(1) औस/2016 तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

2– निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वितरण)/(वित्त)/(कारपोरेट प्लानिंग)/(वाणिज्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

3– प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।

4– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

5– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

6– अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

7– मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

8– समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।

9– महाप्रबन्धक (औस)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

10– समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

11– समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (लेखा शाखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।

12– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

13– समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

14– अधीक्षण अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया संलग्नक चिकित्सालयों की सूची एवम् चिकित्सा दरों को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org** पर लोड करने हेतु

15– सलाहकार (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

16– मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजियाबाद।

17– निदेशक, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, वैशाली (ए यूनिट ऑफ कॉसले रेमिडीज लि0) डब्लू–3, सेक्टर–1, वैशाली, गाजियाबाद।

18– सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेन्ट स्टेशन रोड, लखनऊ ।

19– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

25– कट फाइल ।

(कौशल चन्द्र सक्सेना)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)